



2026:AHC:65867

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7245 वर्ष 2026

इंतेज़ार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: विनोद सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 65

(क्रम संख्या-74 वर्ष 295)

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। जैसा कि अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है, सूचनादाता को 19.2.2026 को नोटिस दिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
3. आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद सिंह के साथ-साथ राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
4. आवेदक केस अपराध संख्या-193 वर्ष 2025 में धारा 65(1) बी.एन.एस. और 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. अधिनियम और 3/4 पाँक्सो अधिनियम, थाना-सैफनी, जिला रामपुर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोप अपने आप में झूठे हैं। प्राथमिकी में सात घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।



6. अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्राथमिकी में पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे और लगभग बीस दिनों की देरी के बाद भी पीड़िता के 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए बयान में भी यही आरोप दोहराए गए थे। इस बीच आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों को ज़मानत दे दी गई।

7. अधिवक्ता ने आगे कहा है कि बाद में, पीड़िता के बयान में धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया गया है, कानूनी परामर्श के बाद पीड़िता द्वारा बलात्कार के आरोपों को बढ़ा दिया गया है। यहां तक कि पीड़िता, जिसे 21.11.2025 को धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के बाद संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा फिर से जांच की गई थी, यानी एक महीने से अधिक की देरी के बाद, पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने बलात्कार करने का प्रयास किया है। आवेदक पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आंख की पुतली पर केवल एक चोट देखी गई है जो कठोर और कुंद वस्तु के कारण हो सकती है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार है।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक को सौंपे गए एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसे समझाया गया है। आवेदक 17.10.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

9. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं कर सका।

10. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य, (2020)**

11 **एस.सी.सी. 648** ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा ज़मानत के लिए उसका मामला बन जाता है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जहां तक यौन उत्पीड़न का संबंध है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता ने पहली बार



बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया था, जो बहुत देर से और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक धारा 65(1) बी.एन.एस. और 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. अधिनियम और 3/4 पॉक्सो अधिनियम को जोड़ने से पहले अन्य धाराओं में ज़मानत पर था, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए एक मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

12. आवेदक- इंतजार जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों को सत्यापित किया जाए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

13. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

मार्च 30, 2026

शालिनी

(कृष्ण पहल)